तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
30-04-2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि विचाराधीन मूल अपील के अन्तिम निस्तारण तक विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश पारित किया जाए। मौजा सादडी चक द्वितीय की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 5581 से 5583 तक व 5596 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.4200 हैक्टैयर की कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा किसी अन्य को हस्तान्तरण करने पर उसके अधिकार प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि यदि स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 06.09.2024 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन तथा सलंग्न दस्तावेजो के विश्लेषण किया गया। विश्लेषण उपरांत यह परिलक्षित होता है कि मूल अपील अभी विचाराधीन है, अतः न्यायहित में यह आवश्यक है कि अंतिम निर्णय तक विवादित स्थिति यथावत रखी जाए। अतः दिनांक 06.09.2024 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश को मूल अपील के अंतिम निस्तारण तक स्थायी किया जाता है। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है वे विवादित भूमि/स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें एवं यथास्थिति बनाए रखें। यह आदेश केवल स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पारित किया गया है तथा मूल अपील के गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। फलस्वरुप स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली बाली, जिला-पाली